समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला पशुपालन कार्यालय)

पुणर्निविदा सं0-02

उत्पादक/भंडारकर्त्ता/उपभंडार कर्त्ता/पंजीकृत थोक विक्रेता से बाढ़/ सुखाड़ सहाय्य कार्य के लिए गेहूँ का भूसा/ पुआल का कुट्टी का सील बन्द निविदा मधेपुरा जिला के विभिन्न अंचल में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए आपूर्ति हेतु शीलबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदादाताओं को मो0-5,000/-(पाँच हजार) रूपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना है, जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा के नाम से देय होगा। निविदा प्राप्ति की तिथि 28-06-2017 के अपराह्न 01:00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदायें उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाताओं एवं उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। पशुचारा का विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	सामग्री का नाम	विशिष्टता/गुणवत्ता
1	गेहूँ का भूसा	नमी दस प्रतिशत से कम, कवक रहित
2	धान की कुट्टी (पैडी स्ट्रा की कुट्टी)	नमी दस प्रतिशत से कम, कवक रहित

निविदा के शर्त्ते

1- तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का भूसा, कुट्टी हेतु निविदा अंकित होगा।

2- तकनीकी निविदा में निम्नलिखित शर्ते होगी-

(क) रूपया 5000/- का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में देना होगा जो कि असफल निविदा दाता को वापस किया जा सकेगा तथा सफल निविदा दाता की राशि को निविदा की अवधि तक रोक रखी जाएगी।

(ख) आधार कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र की छाया प्रति।

(ग) काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी स्वघोषणा-पत्र होना चाहिए।

(घ) सामग्री का नमूना पाँच सौ ग्राम0 पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में सील बंद, निविदा के साथ रहना

चाहिए।

(ड़) सभी शर्ते मान्य होने संबंधी स्वघोषणा-पत्र।

3- तकनीकी निविदा, निविदा दाता या उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा। यदि वे उपस्थित नहीं होते है तो निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय निविदा दाता के लिए मान्य होगा।

4- तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाता का वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

5- निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय अंतिम होगा।

6- वित्तीय निविदा में दर साफ-साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी का दर अलग-अलग अंकित होना चाहिए।

7- सामग्री की आपूत्ति मधेपुरा जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के पशु शिविर में आपूर्त्ति की जायेगी इसके लिए परिवहन मद में राशि अलग से देय नहीं होगा।

8- सफल निविदा दाता का नाम एवं आपूर्त्ति दर आदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।

9- सफल निविदा दाता को सात दिनों के अंदर जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा से एकरारनामा करना होगा जिसमें निविदा की सभी शर्तें तथा निविदा समिति के निर्णय वर्णित होगें।

10- सभी अंचलों में निर्देष्ट स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदा दाता स्वय जिम्मेवार होंगें।

11- भूसा सूखा, कवक रहित, उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए और उत्पादन से छः माह ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नमी दस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12- पन्द्रह दिनों के अंदर आपूर्त्ति नहीं करने पर कुल मुल्य पाँच प्रतिशत दण्ड लगाया जायेगा जिसका निर्णय निविदा समिति द्वारा लिया जायेगा।

13- किसी भी स्तर पर निविदा रद्द किया जा सकता है या आवश्यकता नहीं पड़ने पर आपूर्त्ति आदेश रद्द किया जा सकता है।

14- शर्तों के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्त्ति में देरी या अनियमितता, गुणवत्ता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी/काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जायेगा।

15- कोई भी विवाद होने पर निविदा समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा।

16- कोई भी विवाद मधेपुरा न्यायालय के दायरे में होगा।

17- भूसा के गुणवत्ता में संदेह होने पर गुणवत्ता जाँच कराई जा सकती है।

18- आपूर्त्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित अंचलाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा दिया जायेगा जिसका भुगतान उनके द्वारा आपदा मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।

ह0/–

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक :......727......./जि0पशु0, मधेपुरा दिनांक-.....22..../.....6..../2017

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अल्पकालीन निविदा को जिलाधिकारी के वेबसाईट पर डालना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं अपने जिला में प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक, पशुपालन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला पशुपालन कार्यालय)

पत्रांक–....................../जि0पशु0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक–............./........../2017

विषय :– **पशु चारा का क्रय हेतु निविदा प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि संभावित बाढ़ 2017 के मद्देनजर प्रभावित पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार चारा क्रय हेतु निविदा का प्रकाशन किया जाना है।

अतः पुर्ननिविदा सूचना का प्रारूप की पाँच प्रतियाँ एवं सी0डी0 इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्र यथा दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में निविदा प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक :.....726......../जि0पशु0, मधेपुरा दिनांक–.....22../...6...../2017

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अल्पकालीन निविदा को जिलाधिकारी के वेबसाईट पर डालना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं अपने जिला में प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक, पशुपालन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।